आई.एस.एस.एन. संख्या : 2454–2458
नवरचना NAVRACHNA
www.grefiglobal.org/journals/navrachna.2017
वर्ष 3, अंक 1–2, जून–दिसम्बर 2017, पृ. 57–59

भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य सुरक्षा का महत्व

स्वीटी जैन*

प्रस्तुत शोध पत्र खाद्य एवं भारत के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है। सामान्यतः खाद्य सुरक्षा की अवधारणा देश की समग्र जनसंख्या के लिये खाद्यान्नों की न्यूनतम मात्रा की उपलब्धता से सम्बन्धित है। कोई राष्ट्र खाद्यान्नों के उत्पादन के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो सकता है, किन्तु यह आवश्यक नहीं कि उस राष्ट्र के निवासियों को प्रत्येक समय पर्याप्त एवं पोषण की दृष्टि से उपयुक्त खाद्य आपूर्ति दीर्घकालीन आधार पर उपलब्ध हो रही हो। खाद्य सुरक्षा के माध्यम से समय के साथ बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोग की आवश्यकताओं के अनुरुप, खाद्य की आपूर्ति समाज के सभी वर्गों को प्राप्त होना ही इस शोधपत्र की मुख्य उद्देश्य है।

सामान्यतः खाद्य सुरक्षा को अवधारणा देश की समग्र जनसंख्या के लिये खाद्यान्नों की न्यूनतम मात्रा की उपलब्धता से सम्बन्धित है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी व्यक्तियों के लिए समय पर एक सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्धता को खाद्य सुरक्षा की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। कोई राष्ट्र खाद्यान्नों के उत्पादन के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो सकता है किन्तु यह आवश्यक नहीं कि उस राष्ट्र के निवासियों को प्रत्येक समय पर्याप्त एवं पोषण की दृष्टि से उपयुक्त दीर्घकालीन आधार पर उपलब्ध हो रही हो। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा इस तथ्य में निहित है कि समय के साथ बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोग की आवश्यकताओं के अनुरुप खाद्य की आपूर्ति समाज के सभी वर्गों को की जा सकें।

खाद्य सुरक्षा के अर्न्तगत अनाज, दालों, दूध, सब्जी एवं फल आदि की उपलब्धि को शामिल किया जाता है। भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले छः दशकों में लगभग पांच गुणा बढ़ गया है किन्तु खाद्य समस्या एवं खाद्यान्नों का आयात भी जारी है। यद्यपि यह आयात विशेष परिस्थितियों में किया जाता है किन्तु बावजूद इसके समाज में भुखमरी जैसी गम्भीर समस्या है। इसके साथ–साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को खाद्य पदार्थों की उपलब्धि न केवल अपर्याप्त रुप में हो रही है वरन् कम गुण वाले तथा मिलावटी पदार्थों के उपभोग के कारण खाद्य सुरक्षा का वास्तविक अर्थ पूरा नहीं हो

*शोध छात्रा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ– 250 004 उ. प्र.।

पाता। खाद्य समस्या के मात्रात्मक, गुणात्मक पहलू के साथ वितरणात्मक स्वरुप भी विद्यमान है जो इस समस्या को और अधिक गम्भीर बना देता है। एक गतिशील एवं विकासमान अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों की प्रक्रिया के अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में भी आवश्यक परिवर्तन आते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के साथ भोजन का सन्तुलित होना भी आवश्यक है। भारत में एक सामान्य व्यक्ति को जो भोजन प्राप्त होता है वह अनेक कारणों से पर्याप्त एवं पौष्टिकतो के मानकों को पूरा नहीं करता। वास्तव में खाद्य समस्या का आर्थिक स्वरुप अधिक महत्वपूर्ण है, जो आम जनता की क्रय शक्ति एवं प्रति व्यक्ति आय की अपर्याप्तता से सम्बन्धित है। हाल ही में हुए अध्ययन बताते हैं कि भारत की राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तथा मध्यम वर्ग की आय में काफी वृद्धि हुई है किन्तु विकास की प्रक्रिया में बढ़ती महंगाई इस उपलब्धि को सही मायने प्रदान नहीं करती।

भारत में हमेशा खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता दिखाई गई और यही वजह है कि वर्ष 1960 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतश्त्व में हरितक्रांति की शुरुआत हुई। जिस अनुपात से जनसंख्या बढ़ी उसके हिसाब से हमने अन्न भी उपजाया लेकिन भुखमरी खत्म नहीं हुई। हरित क्रांति के बाद सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, डीजल सब्सिडी योजना आदि योजनाएं लागू की। इसके अलावा 'काम के बदले अनाज' योजना के माध्यम से गरीबों को राहत देने का प्रयास किया गया फिर भी उम्मीदों के अनुरुप सुधार नहीं हुआ क्योंकि इसका मुख्य कारण यह था कि इन योजनाओं में कुछ कमियां विद्यमान थी जिससे जिससे सरकार अवगत नहीं थी। परिणामस्वरुप खाद्यान्न घोटाले की पुनरावश्त्ति को रोकने के लिए सरकार को खाद्य सुरक्षा कानून बनाने की जरुरत महसूस हुई।

भारतीय संविधान की धारा 47 में यह प्रावधान है कि सरकार लोगों का जीवन स्तर उठाने, आहारों की पौष्टिकता में वृद्धि करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य में सुधार लाने जैसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करेगी एवं खाद्य सुरक्षा में पौष्टिक व कैलोरीयुक्त खाद्यान्नों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराएगी। परिणामस्वरुप केन्द्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा हेतु अनेक योजनाएं लागू की हैं जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्या भी हल हो सके।

सर्वे में यह बात सामने आई है कि फसल बीमा का लाभ सिर्फ 4 प्रतिशत किसानों तक ही पहुंच पाता है, 57 प्रतिशत किसानों को तो फसल बीमा के बारे में जानकारी ही नहीं है कि फसल बीमा कराया जाता है। भारत सरकार द्वारा देश में खाद्यान्न के वितरण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी वर्ष 1965 से ही भारतीय खाद्य निगम को सौंपी गई है। यह निगम सामग्री को क्रय करने, भंडारण, वितरण एवं बिक्री की व्यवस्था देखता है। इस निगम के माध्यम से अप्रैल 2011 से पिछड़े जिलों और ब्लॉक में रहने वाले गरीबों, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को हर महीने 3 रुपये प्रति किलोग्राम दर से चावल और 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है।

परन्तु समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी खाद्य सुरक्षा के दायरे से बाहर है। सरकार के खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रयासों से भी उपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। वर्तमान सरकारों ने खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने एवं पारित कराने को जनता को लुभाने का माध्यम बना लिया है। यदि खाद्य

समस्या को वास्तविक रुप में हल करना है तथा खाद्य सुरक्षा के वास्तविक अर्थ को प्राप्त करना है तो सरकार को वितरणात्मक ढांचे में सुधार करने होंगे तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था को दूर करके खाद्य पदार्थों की आपूर्ति जनसामान्य को पर्याप्त एवं सही रुप में करानी होगी। इसके अभाव में 'खाद्य सुरक्षा विधेयक' के प्रावधानों के अर्न्तगत देश की 67 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का दावा सार्थक सिद्ध नहीं होगा। सरकार के समक्ष कई महत्वूर्ण चुनौतियां हैं, जैसे बड़ी मात्रा में अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उसका उचित भंडारण, वितरण आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, किसान को उसकी उपज के सही मूल्य मिलने से जुड़ी है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र के समग्र विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक है जिससे खाद्य सुरक्षा की एक सुदश्ढ़ नींव तैयार की जा सके। खाद्य सुरक्षा विधेयक एवं कानून बनाना ही सरकार के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके पश्चात् इसे सही एवं पूर्ण रुप से क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सरकार एवं समाज की है। अकुशल प्रबन्धन एवं अव्यवस्था के कारण बर्बाद होने वाले खाद्यान्न एवं खाद्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता न होने के बीच उत्पन्न असन्तुलन को दूर करना वास्तव में एक बड़ी चुनौती है। अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन की एक रिर्पोट के अनुसार भारत में एक वर्ष में जितना अनाज बर्बाद होता है, उतना सत्तर लाख लोगों को दो वक्त का भोजन देने में काम आ सकता है। इन परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा के सही मायने तभी हासिल होंगे जब सरकारी वादों एवं प्रावधानों से वास्तविक एवं व्यावहारिक परिणाम प्राप्त हो सकें।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

पोषण एवं खाद्य सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र भारत
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
केन्द्रीय बजट
विश्व विकास रिपोर्ट
कुरुक्षेत्र